

# FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

मालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

अपराधी देवी वर्मा बनाम मजिस्ट्रेट लहरीलगा खण्डेला


मुकदमा नं. 2019/10/19 मुकदमा नं. FT-143/2019 सन् 2019

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
01/10/19	वकील वादीगण श्री बनवारी लाल जांगर ने दखलत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। उत्तिवादीगण की तलमी जीमि सम्मन की लाकर मिसल दिनांक 10/10/19 को पेश हो।	1817 11/10/19
10/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। उत्तिवादी सं. 1 की लागू सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक लागू उक्त उत्तिवादी को डोट से कोई दखलत नहीं आया है। अतः उत्तिवादी सं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लई जा रही है। वकील वादीगण की उल्लेख में एकपक्षीय बहस सुनी गई। मिसल वास्ते उमाण-पत्र ग्राम पंचायत दिनांक 11/10/19 को पेश हो।	
11/10/19	वकील वादीगण उप.। वकील वादीगण ने ग्राम पंचायत का उमाण-पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने दोराने बहस मुताबिक अनुलोष दावा	

डिक्री किया जाने का निर्देश किया।  
पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व  
रेकॉर्ड, पैराशुदा उम्राण-पत्र ग्राम पंचायत  
गोविन्दपुरा, सैलगत पहचान पत्र, आद्याल कार्ड,  
राशन कार्ड का अक्लौकन किया गया  
जिनके अक्लौकन से वादियों का वाद  
स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर  
न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा  
उक्त में आदेश एवं आशय का जारी  
किया जाता है कि:-

निर्णय

तन ग्राम गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला  
सीकर राज. अक्लौकन ख. नं. 472, 474,  
477 एका 4.02 है. के 1/3 भाग में वादी  
सं. 2 का नाम "राजू पि. माना" के स्थान  
पर "राजेंद्र पि. माना" एवं वादी सं. 01 के  
पति का नाम "माना" के स्थान पर "माना"  
दुबस्त किया जाता है। अतनुसार राजस्व  
रेकॉर्ड में असल दतामद हो। तदनुसार पचा  
डिक्री सूतीव हो। पत्रावली फंसल शुभा होकर  
नम्बर से कम हो तथा वाद तनमूल  
दाखिल इफ्तार हो। निर्णय खुले न्यायलय  
में सुनाया गया।



Dr  
11/10/19

सहायक कलेक्टर  
(फासल ट्रेक) खण्डेला